पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

पत्र क्रं. 234 /रेग्यू./अका./2020 रायपुर दिनांक 15 .09.2020

//अधिसूचना//

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 में निर्णय क्रमांक 10 में – **विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के समस्त संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 28.08.2020 की अनुशंसानुसार विनियम क्रमांक 176 ''च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम विनियम'' में क्रमांक 9 एवं 10 में आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय को मान्य करते हुए संशोधित विनियम क्रमांक 176 की** अनुशंसा का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची क्रमांक 01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है –

संशोधित विनियम क्रं. 176

(परिनियम 10 के प्रावधान के अंतर्गत निर्मित)

1. यह विनियम ''च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम विनियम'' के नाम से जाना जायेगा।
2. यह विनियम विश्वविद्यालय अध्ययन शाला एवं इस विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों पर प्रभावी होगा।
3. स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र इस पाठ्यक्रम का संबंधित सेमेस्टर के लिए घोषित प्रश्नपत्रों में से ही प्रश्न पत्र का चयन कर सकेंगे।
4. ऐसे पाठ्यक्रम जो दो ही सेमेस्टर के पाठ्यक्रम है एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य हो, के छात्र च्वॉयस बेस्ड के द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों का प्रथम सेमेस्टर में एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों का द्वितीय सेमेस्टर में चयन कर सकेंगे।
5. प्रत्येक छात्र को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में मिलाकर न्यूनतम छः केडिट लेना अनिवार्य है। छात्र अधिकतम दस केडिट का एक ही विषय अथवा भिन्न विषय में चयन कर सकेंगे।
6. च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों को अंकसूची में अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर के च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों में से न्यूनतम छः केडिट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
7. च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही सम्पन्न कराई जायेगी।
8. विद्यार्थी जिस अध्ययन शाला में च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन शाला द्वारा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व, च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची, प्रश्नपत्र–विषय,

8|1.9.20

विद्यार्थी के प्रथम वर्ष के रोल नम्बर एवं मूल विभाग की जानकारी परीक्षा एवं गोपनीय विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जावेगा। कम्प्यूटरीकृत परीक्षा आवेदन पत्रों में भी इसका प्रावधान किया जावेगा।

9. ऐसे अध्ययन शाला जहाँ अध्ययन–अध्यापन के लिए प्रातः कालीन व्यवस्था है वहाँ च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की Contact कक्षाएं प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य एवं शेष अध्ययन शालाओं में कक्षाएं सांय 4 से 5 बजे तक शंका निवारण हेतु आयोजित की जावेंगी।

10. च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की कक्षाएं Online mode में विश्वविद्यालय की website पर उपलब्ध की जाएगी।

11. च्वॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम का निर्धारण, अन्य पाठ्यक्रमों की भांति संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जावेगा।

आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर) 14.9.20
कुलसचिव

पृ. क्रं. 235 /रेग्यू./अका0/2020 रायपुर दिनांक 15.09.2020

प्रतिलिपि–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, वित्त– विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, इंद्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला,विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
6. समस्त विभागीय अधिकारी, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11.9.20
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

D:\back\shital\T R Sahu\TR Sahu General Letter-3.docx